



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 18 फरवरी, 2015 / 29 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th February, 2015

No-TPT(6)-1/2000-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to earmark quota of 13 posts of Regional Transport Officers between HAS and Departmental officers of Transport Department in the ratio of 60:40 respectively in the following manner:—

8 Posts from HPAS officers

1. (i) Joint Commissioner-cum-RTO, H.Q. Shimla, (ii) RTO Shimla, (iii) RTO, Mandi, (iv) RTO, Kangra, (v) RTO, (FS) Kangra (vi) RTO, Hamirpur (vii) RTO, Solan, (viii) RTO, Kullu.

5 Posts from Departmental officers

2. (i) RTO, Una (ii) RTO, Bilaspur (iii) RTO, Chamba (iv) RTO, Nahan (v) RTO (FS) Kullu.

By order,
AJAY MITTAL,
Additional Chief Secretary.

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती।

श्री राम दास पुत्र श्री दिगती राम, निवासी भागसूनाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री राम दास पुत्र श्री दिगती राम, निवासी भागसूनाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राम दास पुत्र दिगती है जबकि राजस्व रिकॉर्ड महाल अन्द्राड़ में उसका नाम दासो पुत्र दिगती दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल अन्द्राड़ में राम दास पुत्र दिगती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 4-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 4-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती शकुन्तला देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री गुलाब सिंह, निवासी तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी (शकुन्तला देवी) जन्म तिथि 17-9-1971 है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शकुन्तला देवी का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 4-3-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री तारु राम सुपुत्र श्री सुविया राम, निवासी गांव कुठेहड़, मौजा कुठेहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल कुठेहड़ में तारु राम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम भूरी सिंह पुत्र श्री सुविया राम दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में तारु राम के बजाए श्री तारु उर्फ भूरी सिंह पुत्र श्री सुविया राम दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 7-3-2015 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 7-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

मिसल नम्बर : 4/2015

तारीख मरजुआ : 6-2-2015

तारीख पेशी : 10-3-2015

श्रीमती फुलां देवी पुत्री श्री कन्हू राम, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्राथिन ।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम ।

विषय.—ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती फुलां देवी पुत्री श्री कन्हू राम, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भडोल के जन्म अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्राथिन का जन्म दिनांक 18-12-1966 को गांव गवैला में हुआ है परन्तु प्राथिन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भडोल के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। प्राथिन अपना नाम फुलां देवी व जन्म तिथि 18-12-1966 को ग्राम पंचायत भडोल के जन्म अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है। जिसे ग्राम पंचायत अभिलेख भडोल के जन्म अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राथिन का नाम फुलां देवी व जन्म तिथि 18-12-1966 को ग्राम पंचायत भडोल के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-3-2015 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 01/2015

तारीख दायर : 5-2-2015

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सिंघ राम मार्फत रुलिया राम सुरेन्द्र कुमार, गांधी पार्क रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सिंघ राम मार्फत रुलिया राम सुरेन्द्र कुमार, गांधी पार्क रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री एकता की जन्म तिथि 11-1-1998 का पंजीकरण नगरपालिका परिषद्, रामपुर में समय पर दर्ज न करवा सका है। प्रार्थी अब अपनी पुत्री की जन्म तिथि व नाम का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 7-3-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सतीश कुमार नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री जगदीप चन्द पुत्र श्री आशा राम, ग्राम भौंड, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकॉर्ड बाका मौजा नैना में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री जगदीप चन्द पुत्र श्री आशा राम, ग्राम भौंड ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम जगदीप चन्द पुत्र आशा राम है, जो कि ग्राम पंचायत नैनीधार के पंचायती अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड बाका मौजा नैना में प्रार्थी का नाम जगदीश चन्द पुत्र आशा राम दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड बाका मौजा नाया-पन्जोड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारा किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर या एतराज वकालतन दिनांक 4-3-2015 या इससे पूर्व पेश कर सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 4-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सतीश कुमार नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सतीश कुमार नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री कली राम पुत्र श्री शुपा, ग्राम पन्जोड, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकॉर्ड बाका मौजा नाया-पन्जोड में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री कली राम पुत्र श्री शुपा, ग्राम पन्जोड ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम कली राम पुत्र श्री शुपा है, जो कि ग्राम पंचायत नाया-पन्जोड के पंचायती अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड बाका मौजा नाया-पन्जोड में प्रार्थी का नाम रामभज दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड बाका मौजा नाया-पन्जोड में अपना नाम दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारा किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपने उजर या एतराज वकालतन दिनांक 4-3-2015 या इससे पूर्व पेश कर सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 4-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

सतीश कुमार नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 28/2015

श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह, निवासी एस0ए0एस0 कालोनी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री कोमलप्रीत कौर की जन्म तिथि 4-3-1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 4-3-1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोमलप्रीत कौर की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कोमलप्रीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 27/2015

श्री संजय खान पुत्र श्री खुर्शीद अली, निवासी कुन्डियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय खान पुत्र श्री खुर्शीद अली, निवासी कुन्डियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 2-12-1982 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्डियों में अपनी जन्म तिथि 2-12-1982 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संजय खान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्डियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 12-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त संजय खान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 23/15

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री जगरु राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री जगरु राम, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री बेला कुमारी की जन्म तिथि 28-11-1985 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 28-11-1985 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बेला कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बेला कुमारी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 24/15

श्रीमती कमलजीत कौर पुत्री श्री दाता राम, निवासी जगतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
(हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमलजीत कौर पुत्री श्री दाता राम, निवासी जगतपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र बृजेश की जन्म तिथि 7-6-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत माजरा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 7-6-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बृजेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बृजेश की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 22/2015

कु0 रंजना पुत्री श्री सुशील कुमार, निवासी मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कु0 रंजना पुत्री श्री सुशील कुमार, निवासी मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 7-11-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में अपनी जन्म तिथि 7-11-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कु0 रंजना की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 रंजना की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 6/15

धर्मेन्द्र पाल

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री धर्मेन्द्र पाल पुत्र श्री भगत राम, निवासी राजपुरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री उर्वशी शर्मा की जन्म तिथि 15-9-1992 व रजत शर्मा की जन्म तिथि 26-8-1994 है परन्तु ग्राम पंचायत राजपुरा में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इन्हें पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त उर्वशी शर्मा व रजत शर्मा की जन्म तिथियों को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 7-3-2015 को अदालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथियां पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

के0 एस0 लाल्टा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)।